

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 361]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 18 अगस्त 2020 — श्रावण 27, शक 1942

गृह विभाग

(सी-अनुभाग)

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 14 अगस्त 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ-4-33/गृह-सी/2013. — छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम, 2005 (क्रमांक 14 सन् 2006) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-4-33/गृह-सी/2013, दिनांक 22 जुलाई, 2019 में वृद्धि करते हुए “चेतना नाट्य मंच (सीएनएम)” को पुनः एक वर्ष की कालावधि के लिए, विधि विरुद्ध संगठन के रूप में घोषित करती है।

यह अधिसूचना दिनांक 16 अगस्त, 2020 से एक वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ में प्रवृत्त रहेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. डी. कुंदानी, संयुक्त सचिव.

अटल नगर, दिनांक 14 अगस्त 2020

क्रमांक एफ-4-33/गृह-सी/2013. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 14-08-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. डी. कुंदानी, संयुक्त सचिव.

Atal Nagar, the 14th August 2020

NOTIFICATION

No. F-4-33/Home-c/2013.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Chhattisgarh Visesh Jan Suraksha Act, 2005 (No. 14 of 2006), the State Government, hereby, extends notification No. F-4-33/Home-c/2013, dated 22 July, 2019 of this Department and declares the “Chetna Natya Manch (CNM)” as Unlawful Organisations for a Further period of one year;

This notification shall remain in force for one year in Chhattisgarh with effect from 16 August, 2020.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
N. D. KUNDANI, Joint Secretary.